



UPRN120001392022

न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर कानपुर देहात।

मूल वाद सं०-11/2022

जगदेव प्रसाद शर्मा

बनाम

दिनेश चन्द्र गुप्ता।

दिनांक 10/02/2022

निस्तारण प्रार्थना पत्र 18 ग 2

पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। पूर्व नियत तिथि पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 18 ग 2 पर सुना जा चुका है।

प्रार्थना पत्र 18 ग 2 मय शपथ पत्र 19 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 सी०पी०सी के अनुसार प्रार्थी/प्रतिवादी का संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र जोकि इस प्रार्थनापत्र का एक अभिन्न अंग है में दिये गये तथ्यों एवं कारणों के आधार पर प्रार्थी / प्रतिवादी निवेदनशील है कि वादी विवादित जगह का मालिक काबिज व दखील कतई नहीं है। वादी ने अपने वादपत्र की चौहददी में उत्तर दिशा में मकान भकूलाल गुप्ता का दर्शित किया है जबकि वादी के विक्रेतनी साहना खातून उर्फ अफसाना खातून पत्नी शाकील अहमद उर्फ जुगन , श्रीमती क्षमा पत्नी श्री अनिल बंसल एवं नवनीत कुमार गोयल पुत्र स्व० प्रहलाद कुमार गोयल आदि ने रामप्रसाद बालिग पुत्र स्व० मूलचन्द्र मिश्रा निवासी ग्राम हलधरपुर तहसील भोगनीपुर जिला कानपुर देहात से खरीदा था जिसमे उत्तर की चौहददी में मकान भकूलाल आदि लिखा है जबकि वादी ने अपने बैनामा में उत्तर की चौहददी में मकान भकूलाल गुप्ता का लिखाया है जबकि उनकी मृत्यु लगभग 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है, जिससे स्पष्ट है कि वादी व उनके विक्रेतागण की नीयत में शुरु से ही खोट रहा है। इस कारण उन्होंने तुलसीराम गुप्ता उफ भकूलाल गुप्ता आदि के वारिसान का मकान दर्शित न करके भकूलाल गुप्ता आदि का दर्शित किया है। वादी के विवादित प्लाट के पश्चिम दिशा मे लगभग 7-8 फीट की ऊंची दीवाल कायम है और लोहे का दरवाजा लगा हुआ है, और उत्तर दिशा में पश्चिमी तरफ लगभग 7-8 फीट की एक इंची दीवाल कायम है जिसे वादी ने अपने वादपत्र में छिपा करके मात्र चारो तरफ नीव भरी दर्शित करते हुये वर्तमान वादपत्र दाखिल किया है और वादी के प्लाट के दक्षिण तरफ वादी व दिनेश पुरवार के मध्य मे कोई नींव नहीं भरी है, और वादी ने प्रार्थी / प्रतिवादी के उत्तर दिशा की ओर स्थिति प्लाट जिसे प्रार्थी / प्रतिवादी व श्रीमती शोभारानी गुप्ता पत्नी श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता (प्रार्थी/प्रतिवादी) ने भकूलाल गुप्ता उर्फ तुलसीराम आदि के वारिसान अशोक कुमार गुप्ता बालिग पुत्र स्व 0 तुलसीराम गुप्ता उर्फ भकूलाल गुप्ता आदि से बजरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 18-01-2020 को खरीदा था जिसकी चौहददी पूरब मे त्रिवेदी राइस मिल बाद अन्य की जगह, पश्चिम मे पुराना कानपुर झांसी राजमार्ग बाद अन्य का मकान, उत्तर मे मकान ईश्वर चन्द्र यादव जिसमें पंजाब नेशनल बैंक संचालित हो रही हैं, दक्षिण में मकान जगदेव प्रसाद शर्मा (वादी) बाद अन्य का मकान को छिपा करके यानि कि उत्तर दिशा में प्रार्थी / प्रतिवादी व श्रीमती शोभारानी गुप्ता के मकान अब वशक्क प्लाट को छिपा करके तात्विक विशिष्ट के सम्बन्ध में जानते हुये भ्रामक कथन करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान वाद प्रस्तुत कर दिया जबकि वादी को प्रार्थी / प्रतिवादी के प्लाट की जानकारी दावा प्रस्तुतीकरण के समय ही थी और वादी ने इस आशय का एक प्रार्थनापत्र दिनांक 19-01-2022 को श्रीमान पुलिस थाना प्रभारी पुलिस थाना भोगनीपुर कानपुर देहात में प्रस्तुत किया था जिसमें कथन किया है कि हमारे प्लाट के बगल मे दिनेश गुप्ता (प्रार्थी / प्रतिवादी) का प्लाट है जोकि तलघर बनवा रहे हैं इस प्रकार वादी ने अपने प्लाट की

पश्चिमी दीवाल को छिपा करके एवं उत्तर तरफ पश्चिमी दीवाल एवं उत्तर दिशा में प्रार्थी / प्रतिवादी के प्लाट के तात्त्विक तथ्य को छिपा कर मिथ्या या भ्रामक कथन करते हुये प्रार्थी / प्रतिवादी को भूमाफिया बताते हुये माननीय न्यायालय से एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है, ऐसी स्थिति में आदेश 39 नियम 4 सी० पी० सी० प्राविधान करती है कि यदि अस्थायी व्यादेश के लिये किसी आवेदन मे या ऐसे आवेदन का समर्थन करने वाले किसी शपथपत्र में किसी पक्षकार ने किसी तात्त्विक विशिष्ट के सम्बन्ध में जानते हुये मिथ्या या भ्रामक कथन किया है, और विरोधी पक्षकार को सूचना दिये बिना व्यादेश दिया गया था तो न्यायालय व्यादेश को उस दशा में रद्द कर देगा। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने विवादित प्लाट के उत्तर दिशा में भकूलाल गुप्ता का मकान दर्शित करके प्रार्थी / प्रतिवादी के द्वारा भकूलाल गुप्ता आदि के वारिसान से खरीदे गये मकान अब वशकू प्लाट के तथ्य को छिपा लिया है, और अपने प्लाट की पश्चिमी दीवाल व पश्चिमी उत्तरी दीवाल के तथ्य को छिपा लिया है। यानि कि वादी ने उत्तर दिशा मे प्रार्थी / प्रतिवादी के प्लाट को जानते हुये भी तात्त्विक विशिष्ट के सम्बन्ध में मिथ्या कथन किया है, वादी का अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र स्वीकार नहीं है और खारिज होने योग्य है, इसलिये न्याय हित मे वादी के पक्ष में जारी एकपक्षीय निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 20-01-2022 को अपास्त किया जाना आवश्यक है। इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी प्रार्थनापत्र का एक अभिन्न एवं आवश्यक भाग है। अतएवं श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि आदेश 39 नियम 4 व धारा 151 सी० पी० सी० मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वादी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र मे पेपर संख्या 6 ग न्यायहित मे खारिज करते हुये वादी के पक्ष में जारी एक पक्षीय आदेश दिनांक 20-01-2022 को अपास्त किये जाने का महती आदेश पारित करने की कृपा की जावे।

वादी द्वारा आपत्ति कागज सं०-27 ग 2 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ में संलग्न प्रतिशपथपत्र जो इस आपत्ति का एक अभिन्न एवं आवश्यक अंग है में वर्णित तथ्यों एवं कारणों के आधार पर वादी निवेदनशील है कि प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 39 नियम 4 व धारा 151 सी० पी० सी० बिना किसी आधार के प्रस्तुत किया किया है जिसमें प्रतिवादी ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जोकि मुझ वादी को कतई स्वीकार नहीं है। वादी ने अपने वादपत्र में किसी भी तात्त्विक विशिष्ट को नहीं छिपाया है प्रतिवादी अपने इस प्रार्थनापत्र में यह तथ्य बता पाने में पूर्णतया असफल रहा है कि वादी विवादित स्थल का स्वामी कैसे नहीं है जबकि प्रतिवादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसके मकान / प्लाट के दक्षिण में वादी का मकान है तथा प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत बैनामें में भी दक्षिण तरफ मुझ वादी का मकान लिखा है हालांकि कि वहां पर वादी का मकान नहीं है प्लाट है। जिससे भी प्रथम दृष्ट्या वादी का प्रश्रगत स्थल साबित है। प्रतिवादी ने वादी के बैनामा एवं वादी के विवादत स्थल के स्वामी होने से इन्कार भी नहीं किया है और न ही विवादत स्थल के बाबत अपना कोई स्वत्व का दावा ही किया है और न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे साबित होता हो विवादत स्थल का मालिक काबिज प्रतिवादी है। बल्कि प्रतिवादी अपने इस प्रार्थनापत्र से विवादित स्थल को वादी का मानता है, वादी के विवादित स्थल के उत्तर दिशा की ओर भकूलाल गुप्ता का मकान रहा है और वादी के बैनामा तहरीर दिनांक 8-12-2016 को भी भकूलाल गुप्ता का मकान था इसीलिए बैनामा में उनका मकान लिखा गया था तब कोई किसी प्रकार का विवाद भी नहीं था। इस प्रकार प्रतिवादी का यह कहना कि वादी की नियत में शुरु से खोट है असत्य है, यहां यह बात उल्लेखनीय है विवादित स्थल वादी का नहीं है, इस सम्बन्ध में प्रतिवादी के पास कोई साक्ष्य नहीं है, यहां तक की प्रतिवादी ने वादी के बैनामों को भी स्वीकार कर रहा है फिर नीहित स्वार्थवश वादी के विवादत स्थल पर कब्जा करने की नियत रखता है जैसा की प्रतिवादी ने कहा भी है कि प्रतिवादी अपने प्लाट में तल घर बनवा रहा है जब कि प्रतिवादी ने कोई नक्शा नगर पालिका से पास नहीं कराया है सिर्फ दबंगई के बल पर निर्माण कार्य करा रहा है और उसी की आड़ से वादी के विवादित स्थल पर कब्जा करने की नियत रखता है। प्रश्रगत मामले में विधि का गम्भीर प्रश्न विद्यमान है और ऐसी विधि व्यवस्था है कि यदि किसी मामले में विधि का गम्भीर प्रश्न विद्यमान है वहां अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रखना विधि एवं न्याय प्रशासन के लिए आवश्यक

है ऐसी स्थिति में वादी के पक्ष जारी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 20-1-2022 को निरन्तर वाद के अन्तिम निस्तारण तक जारी रखना न्याय के हित में है यदि अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किया जाता है तो प्रतिवादी निश्चित ही वादी के विवादित स्थल पर कब्जा करके वादी को बेदखल कर देगा जिससे वादी को अपूर्ण क्षति होगी। वादी का वाद प्रथम दृष्टया पुष्ट व साबित है सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में तथा अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने से वादी को अपूर्ण क्षति की घोर संभावना विद्यमान है। न्यायहित में प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र निरस्त कर माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2022 को वाद के अन्तिम निस्तारण तक बहाल रखा जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में सूची 21 ग 1 से कागज सं०-22 ग 1/1 लगायत 22 ग 1/43 बैनामा की सत्यप्रति, कागज सं०-23 ग 1 आधार कार्ड की छायाप्रति, कागज सं०-20 ग 1 श्रीमान पुलिस थाना प्रभारी थाना भोगनीपुर को दिये गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति दाखिल किया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में एक पक्षीय अंतरिम आदेश दिनांक 20.01.2022 को पारित किया गया है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 सी०पी०सी प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी द्वारा तात्त्विक विशिष्ट के सम्बंध में जानते हुए भ्रामक कथन कर आदेश प्राप्त किया गया है। आदेश 39 नियम 4 सी०पी०सी० यह प्रावधानित करता है कि व्यादेश के किसी भी आदेश को उस आदेश से असंतुष्ट किसी पक्षकार द्वारा न्यायालय से किए गए आवेदन पर उस न्यायालय द्वारा प्रभावोन्मुक्त, उसमें फेरफार या उसे अपास्त किया जा सकेगा:

परन्तु यदि अस्थायी व्यादेश के लिए किसी आवेदन में या ऐसे आवेदन का समर्थन करने वाले किसी शपथ पत्र में किसी पक्षकार ने किसी तात्त्विक विशिष्ट के सम्बंध में जानते हुए मिथ्या या भ्रामक कथन किया है और विरोधी पक्षकार को सूचना दिये बिना व्यादेश दिया गया था तो न्यायालय व्यादेश को उस दशा में रद्द कर देगा जिसमें वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह समझता है कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक नहीं है:

परन्तु यह और कि जहाँ किसी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात व्यादेश के लिए आदेश पारित किया गया है वहाँ ऐसे आदेश को उस पक्षकार के आवेदन पर तब तक प्रभावोन्मुक्त, उसमें फेरफार या अपास्त नहीं किया जा सकेगा जब तक परिस्थितियों के बदल जाने से ऐसा प्रभावोन्मुक्त, फेरफार या अपास्त किया जाना आवश्यक न हो गया हो या जब तक न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि आदेश से उस पक्षकार को असम्यक कष्ट हुआ है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि वादी ने अपने वाद पत्र की चौहद्दी में उत्तर दिशा में मकान भकूलाल गुप्ता का दर्शित किया है जबकि वादी द्वारा साहना खातून उर्फ अफसाना खातून से उक्त प्लॉट को खरीदा था जिसमें उत्तर की चौहद्दी में मकान भकूलाल आदि लिखा है जबकि उनकी मृत्यु 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादी के क्रय किये जाते समय उत्तर दिशा की सम्पत्ति पर दस्तावेजों में किसका नाम अंकित था। केवल प्रतिवादी का यह कथन कि वादी द्वारा वाद पत्र में उत्तर दिशा में मकान भकूलाल गुप्ता लिखा है जबकि बैनामे में उत्तर की चौहद्दी मकान भकूलाल आदि लिखा है, से कोई भिन्नता दर्शित नहीं होती है। प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया है कि विवादित प्लॉट की पश्चिमी दिशा में 7-8 फीट ऊंची दीवाल कायम है और लोहे का दरवाजा लगा है, इस तथ्य को वादी द्वारा छिपाया गया है तथा वादी ने प्रतिवादी के उत्तर दिशा की ओर स्थित प्लॉट जिसे प्रतिवादी व श्रीमती शोभारानी गुप्ता ने भकूलाल गुप्ता उर्फ तुलसीराम के वारिसानों अशोक कुमार गुप्ता से पंजीकृत बैनामा दिनांकित 18.01.2020 को खरीदा था जिसकी चौहद्दी पूरब में त्रिवेदी रईस मिल बाद अन्य की जगह, पश्चिम में पुराना कानपुर झांसी राजमार्ग बाद अन्य का मकान, उत्तर में मकान ईश्वर चन्द्र यादव जिसमें पंजाब नेशनल बैंक संचालित हो रही है, दक्षिण में मकान जगदेव प्रसाद शर्मा(वादी) बाद अन्य का मकान को छिपा करके यानि उत्तर

दिशा में प्रतिवादी व श्रीमती शोभारानी गुप्ता के मकान अब वशकू प्लाट को छिपाकरके तात्विक विशिष्ट के सम्बंध में जानते हुए भ्रामक कथन करते हुए न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। वादी द्वारा प्लाट सं०-02 जिसको वादी ने पंजीकृत बैनामा दिनांकित 08.12.2016 द्वारा क्रय किया है जिसकी नाप पूरब-पश्चिम 80 फीट, उत्तर-दक्षिण 14 फीट बताया है जिसके उत्तर में भकूलाल गुप्ता का मकान, दक्षिण में वादी का प्लाट सं०-01 बाद प्लाट दिनेश पुरवार, पूरब में रईस मिल, पश्चिम में कानपुर झांसी राजमार्ग स्थित है जिसमें विवादित स्थल की चौहद्दी उत्तर में भकूलाल गुप्ता का मकान, दक्षिण में वादी का जुज प्लाट सं०-02 बादहू वादी का प्लाट सं०-01 वादी बाद प्लाट दिनेश पुरवार, पश्चिम कानपुर झांसी राजमार्ग बादहू भवन भारतीय स्टेट बैंक अंकित किया है तथा विवादित स्थल की लम्बाई पूरब-पश्चिम 80 फीट, उत्तर दक्षिण 6 फीट बताया गया है। प्रतिवादी द्वारा यह तथ्य नहीं बताया गया है कि उसे किस प्रकार से असम्यक कष्ट हुआ है। प्रतिवादी द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि वादी द्वारा उक्त प्लाट को पंजीकृत बैनामा द्वारा क्रय किया गया है। विवादित स्थल के उत्तर में भकूलाल गुप्ता का मकान था यह तथ्य उभयपक्ष को स्वीकार है। यदि वर्तमान समय में प्रतिवादी द्वारा भकूलाल गुप्ता के वारिसानों से उक्त मकान को क्रय किया जा चुका है तो भी इस तथ्य से वादी के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 18 ग 2 मय शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 सी०पी०सी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 18 ग 2 निरस्त किया जाता है। प्रतिवादी प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर नियमानुसार आपत्ति प्रस्तुत करे। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 17.02.2022 को पेश हो। टी०आई० नियत तिथि तक प्रभावी।

(कृपा शंकर)
सिविल जज(जू०डि०)भोगनीपुर
कानपुर देहात।
I.D -U.P 02625